न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

रिव्यु प्रार्थना पत्र : 14/2021

जी.सी.एम.एस. : 2021/137

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1. वजाराम पुत्र केसाराम 2. गैरकी पत्नी केसाराम जातिगण लुहार निवासीगण विरमपुरा माताजी तहसील देसूरी जिला पाली		1. छोगाराम पुत्र केसाजी जाति लौहार निवासी दाता मारबल के सामने वाली गली विजयनगर पाली कॉलोनी(खालसा पेट्रोल) के सामने फालना निवासी फालना तहसील बाली जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत, ढालोप तहसील देसूरी जिला पाली 3. विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी जिला पाली

रिव्यु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :-
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसुन्दर पंचारिया
अप्रार्थी ओर से अधिवक्ता श्री नवीन दवे।

-: निर्णय :-

दिनांकः- 29-11-21

वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राज पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण संख्या 20/2018 बअनवान वजाराम बनाम छोगाराम में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2021 के पुनर्विलोकन हेतु पेश किया है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर मूल निगरानी एंव पंचायत रेकर्ड संलग्न कर अप्रार्थीगण की तलबी की जाकर बहस सुनी गई।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में उल्लेखित उन्ही तथ्यों बाबत कथन किया जो मूल निगरानी में उल्लेखित किए हुए है वकिल अप्रार्थी ने दौराने बहस वकील प्रार्थी के कथनों पर कड़ा एतराज जताते हुए कथन किया कि विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के संबध में निगरानी में उल्लेखित उन्ही तथ्यों का वर्णन किया है जिन पर न्यायालय ने पूर्व में समीक्षा कर निर्णय पारित कर दिया है धारा 97(3) के अनुसार पूर्व में पारित निर्णय में अज्ञानतावश तात्विक या विधिक भूलवश पारित किये जाने का उल्लेख नही किया है जिन पर निर्णय पारित करते समय विचार नही हुआ है पुनः निगरानी के तथ्यों का ही उल्लेख करने का कृत्य न्यायालय के प्रति अवमानना को दर्शाता है अतः प्रार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया **राज. पंचायती राज अधिनियम की धारा 97(3) के अनुसार**– राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त किसी आवेदन पर किसी भी समय उप–धारा(1) के अधिन आदेश पारित किये जाने के 90 दिन के भीतर–भीतर ऐसी किसी भी आदेश का पुर्नविलोकन कर सकेगी यदि वह उसके द्वारा किसी भूलवश, जो चाहे तथ्य की हो या विधि की या किसी तात्विक तथ्य अज्ञानतावश पारित किया गया हो उपधारा (1) के परन्तुक और उप–धारा(2) में उन्तर्विष्ट इस उप धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होगें।

वकिल प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान अथवा प्रार्थना पत्र में कही भी यह उल्लेख नही किया कि किस प्रक[illegible] प्रार्थना पत्र निर्णय किसी भूलवश जो चाहे तथ्य की हो य[illegible] की अज्ञानतावश पारित किया गया हो ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया [illegible] न्यायोचित नही है। उक्त पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में मूल निगरानी के ही आधार पर दोबारा दोहराना उचित नहीं है। पुनर्विलोकन में पूर्व मे निर्णित पक्ष को किसी नई जानकारी के अभाव में पुनः निर्णित करना औचित्यपूर्वक नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:37:01 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। तथा मूल निगरानी संख्या 20/2018 बअनवान वजाराम बनाम छोगाराम में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2021 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:37:01 IST
Reason: SelfAttested